जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा।

ज्ञापांकः– 1973 / नि0 दरभंगा, दिनांकः– 1/11/23

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री गुड्डु कुमार पिता श्री आनंद ठाकुर, ग्राम–मब्बी बेलौना, पो0–लालशाहपुर, थाना–सदर, जिला–दरभंगा** ने **"आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट"** के नाम से ट्रस्ट दस्तावेज निबंधित किया है, जिसका दस्तावेज सं0–**46** पुस्तक सं0–**IV**, जिल्द सं.–**2**, पृष्ठ सं0–**1 से 25** है, दिनांकः–**06.04.2023** को जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा में निबंधित है। अभिलेखपाल द्वारा कार्यालय में संधारित अभिलेख से इसकी जाँच कर ली गयी है एवं सही पाया गया।

जिला अवर निबंधक,
दरभंगा।
01/11/23

Serial No. 5264 Circle:-:NA

Book No. 4 Deed No. 46

INDIA NON JUDICIAL

Government of Bihar

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR55099661647739V
Certificate Issued Date	:	05-Apr-2023 12:44 PM
Account Reference	:	NONACC (CB)/ brtbscb09/ DARBHANGA/ BR-DBG/ DBG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-BRBRTBSCB0992871289701761V
Purchased by	:	GUDDU KUMAR SO ANAND THAKUR
Description of Document	:	Article 64 Trust
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Not Applicable
Second Party	:	GUDDU KUMAR SO ANAND THAKUR
Stamp Duty Paid By	:	GUDDU KUMAR SO ANAND THAKUR
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	6,000(Six Thousand only)
Reg. fee (Rs.)	:	2,200 (Two Thousand Two Hundred only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)
Total Amount (Rs.)	:	9,200 (Nine Thousand Two Hundred only)

5330

Serial No. 5264

Deed No. 46

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Darbhanga
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **06/04/2023** by **Guddu Kumar**
A Stamp Duty of Rs. **6000**/- and other Fees of Rs. **3200**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. **46** in Book No. **4**, Volume No. **2** on pages from **1** to **25** and has been preserved in total **25** pages in C.D. No. **1** / Year **2023**

Signature with Date
(**Nigam Prakash Jwala**)
Registering Officer, **Darbhanga**

Date: 06/04/2023 Token No: 5330 /2023

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR DARBHANGA

Do not write or type below this line

PU 0006415027

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

District Registry Office,Darbhanga

Token Number 5330	Reg. Year 2023	Serial Number 5264	Deed Number 46

PresType	Name	Sig.
Presented By	Guddu Kumar	गुड्डू कुमार 06-04-2023
	Guddu Kumar	गुड्डू कुमार 06-04-2023
Trustee	Ashish Chauhan	आशीष चौहान 6/4/23
Trustee	Ganesh Kumar Sharma	गणेश कुमार शर्मा 6/4/23
Trustee	Puja Kumari	पूजा कुमारी 06/04/23
Trustee	Sanjeev Kumar	संजीव कुमार 06-04-2023
Identified By	Pintu Kumar	पिन्टू कुमार 06/04/2023

Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little

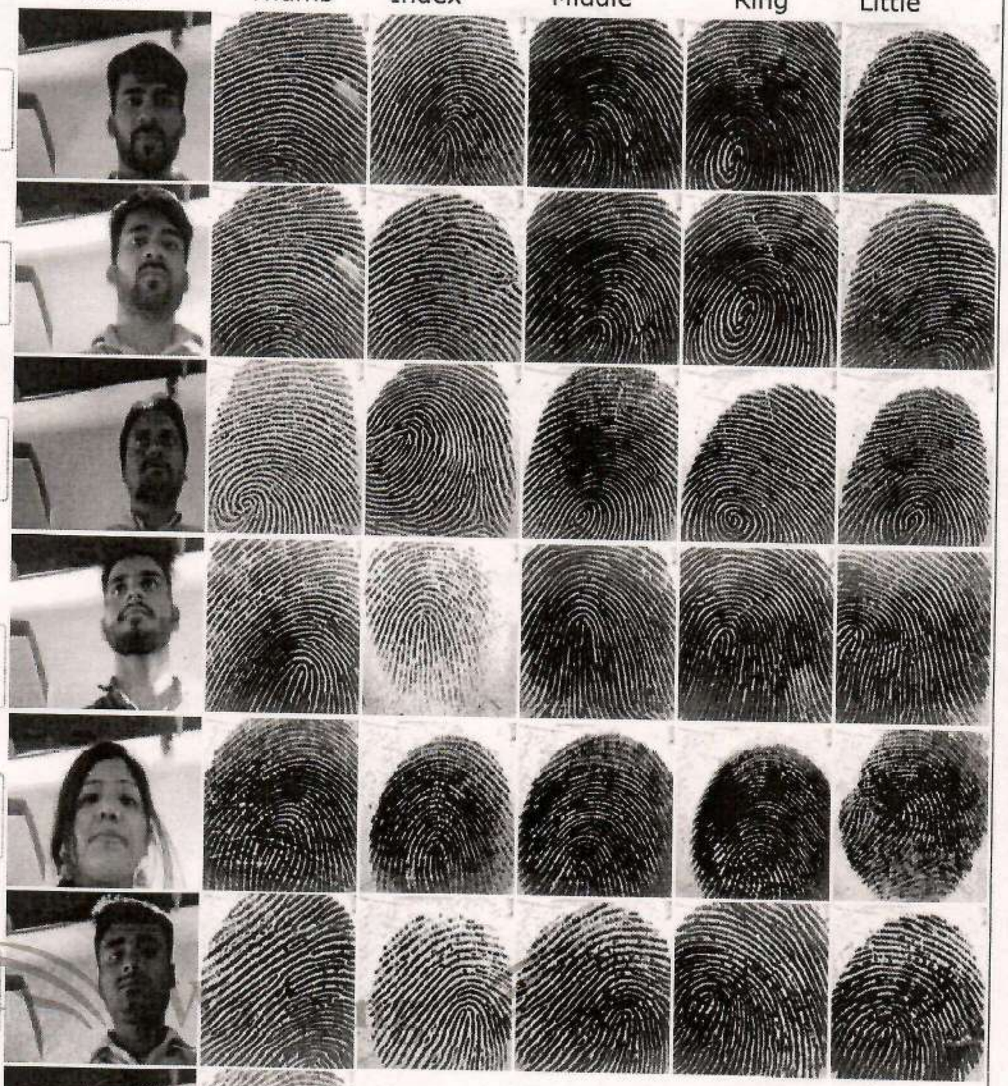

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed on www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

DIST. SEAL ★ DARBHANGA

ट्रस्ट डीड

आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट

Anand Jivan Foundation Trust

यह दस्तावेज आज दिनांक–01 अप्रैल 2023 ई0 को तैयार किया गया।

सही [illegible] कुमार 06-09-2023

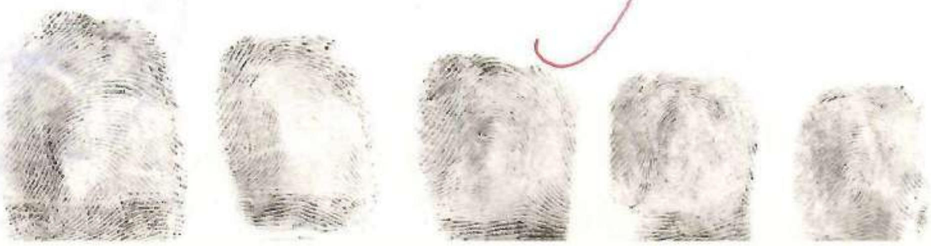

हमारी हार्दिक अभिलाशा है कि समाज में सुख–शांति, संगठन, सद्भाव एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु मानव कल्याण एवं विश्व बंधुत्व तथा सभी चेतन, जड़ एवं गतिक प्राणियों के निमित न्यास की स्थापना की जाए तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाय। इसके निमित प्रारंभिक मुद्रा–1,01,000/–(एक लाख एक हजार रूपये) मात्र प्रदान करती है जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगी।

****

1. न्यास का नाम :– आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट

Anand Jivan Foundation Trust

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय :– ग्राम– मब्बी बेलौना

पोस्ट– लालशाहपुर

थाना– सदर(मब्बी ओ.पी.)

जिला– दरभंगा

पिन– 846005 (बिहार)

3. न्यास का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. **न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या :–** न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम पाँच और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे। जो कि ट्रस्ट के सदस्यों के विशेष बैठक के निर्णय एवं निर्धारित मान्य स्वरूप के देयता एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों तथा नियमों के पालन हेतु बाध्य होंगे।

5. न्यास का गठन :–

क्र0	पिता / पति का नाम	पता	पद
1.	श्री गुड्डु कुमार पिता श्री आनंद ठाकुर आधार - 653564983178	ग्राम–मब्बी बेलौना पो0– लालशाहपुर, थाना–सदर जिला–दरभंगा राज्य–बिहार	संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष न्यासी
2.	श्री आशीष चौहान पिता श्याम नारायण चौहान आधार - 451227767375	ग्राम– मब्बी बेलौना, पो0– लालशाहपुर, जिला– दरभंगा, राज्य–बिहार	सचिव सह न्यासी
3.	श्रीमती पूजा कुमारी पति श्री गुड्डू कुमार आधार - 775528289567	ग्राम– मब्बी बेलौना, पो0– लालशाहपुर, जिला– दरभंगा, राज्य–बिहार	कोषाध्यक्ष सह न्यासी
4.	श्री गणेश कुमार शर्मा पिता श्री रामभारोश शर्मा आधार - 886892545124	ग्राम– मब्बी बेलौना, पो0– लालशाहपुर, जिला– दरभंगा, राज्य–बिहार	सदस्य
5.	श्री संजीव कुमार पिता श्री गणेश मांझी आधार - 846963747651	ग्राम– मब्बी बेलौना, पो0– लालशाहपुर, जिला– दरभंगा, राज्य–बिहार	सदस्य

SEAL OF DISTRICT ... DARBHANGA

2. **किस्म वोसिका :** ट्रस्टडीड

3. **वर्त्तमान पूँजी :** मो0 1,01,000/– (एक लाख एक हजार रूपया मात्र।)

4. **न्यास का नाम एवं :** आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट

5. **निबंधित कार्यालय :** लहेरिया सराय टॉवर चौक
एसएच 57 पीडब्ल्यूडी कॉलोनी
जिला– दरभंगा
पिन–846004, बिहार

संस्था का उद्देश्य

1. भारत देश के समाज के गरीब पिछड़े और जरूरतमंद लोगों की सेवा व सहायता।
2. ग्रामीण एवं शहरी नौजवानों के लिए रोजगार के वैकल्पिक साधन मुहैया कराना और उन्हे विकास से जोड़ना।
3. गरीब और पिछड़े परिवार के बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करना।
4. बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं–जिन्हें परिवार की तरफ से जरूरी देख–रेख नहीं मिल पाती–उनके लिए लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना कर जीवन–यापन के लिए जरिया मुहैया कराना।
5. जन प्रतिनिधियों ओर सरकारी संस्था/संगठनों/विभागों के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक विकास के कार्यों की निगरानी करना ताकि आम आदमी को उसका अनिवार्य अधिकार प्राप्त हो सकें।
6. रोजमर्रा के उत्पादों और ग्राहक के अधिकारों के बारे में जन–चेतना विकसित करना।

SEAL OF DISTRICT SUB REGIS... DARBH...

7. सामाजिक सद्भाव और सौहार्द का माहौल तैयार करने के लिए मंच, सेमिनार, काव्य पाठ, मुशायरा जैसे आयोजन करना।

8. समाज में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

9. बिहार के विकास में योगदान करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और उनका सम्मान करना।

10. शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार हेतु टंकनकला, आशुलिपि, कम्प्युटर प्रशिक्षण आदि देना, एवं बच्चों के सर्वांगिण विकास हेतु प्रारंभिक प्ले स्कूल स्थापित करके संचालित करना, प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके संचालित करना एवं विश्वविद्यालय, आई0टी0आई0, पॉलिटेकनिक, इंजीयरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि कॉलेज एवं कोचिंग स्थापित करना एवं संचालित करना। हॉस्टल या बोडिंग हाउस की स्थापना करना तथा गरीब एवं जरूरतमंद शिक्षार्थियों को समुचित सहायता प्रदान करना।

11. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई कटाई बुनाई कसीदाकारी, एप्लीक, पेंटिंग, गुड़िया निर्माण, सौन्दर्य एवं प्रसाधन के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण देना।

12. राष्ट्र को संकटकालीन स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक घटनाओं जैसे–बाढ़द्व भूकम्प, अग्निकाण्ड, आकाल या संक्रामक रोगों के प्रसार जैसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में सेवा शिविर का संचालन, राहत कार्य की समुचित व्यवस्था करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना करना।

13. साम्प्रदायिक सद्भाव के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमिनार आदि का संचालन करना। साम्प्रदायिक दंगों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राहत शिविरों का संचालन तथा सोहार्दपूर्ण सौभ्य वातावरण के निर्माण के लिए सार्थक पहल करना।

14. स्वस्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवार कल्याण की समुचित जानकारी, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को देना, बढ़ती आबादी के भयानक अंजाम से आम जनता को अवगत कराना, रक्तदान, प्रतिरक्षण, नेत्र चिकित्सा शिविरों को अवगत कराना, रक्तदान, प्रतिरक्षण, नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, पोलियों उन्मूलन जागरूकता अभियान, टीकाकरण, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की आयोजना तथा कुष्ट रोगियों के उपचार एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।

15. आदर्श ग्राम के निर्माण के लिए पर्यावरण की समुचित व्यवस्था करना, गन्दी बस्तियों की सफाई, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था, सुलभ शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था, लघुपथ एवं नालियों के लिए सरकारी सहायता एवं संस्था के उपलबध स्त्रोतों से समुचित व्यवस्था करना।

16. पर्यावरण संबंधी जानकारी देकर आम जनता को स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए प्रेरित करना, जलप्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण एवं मिट्टी प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करना, वन संरक्षण के प्रति रूचि पैदा करना तथा हरियाली अभियान चलाकर वृक्षारोपन कार्यक्रम संचालित करना।

17. वैकल्पिक उर्जा स्त्रोतों की व्यवस्था तथा उनके उपयोग के प्रति आम जनता में रूचि पैदा करना तथा लाभ से अवगत कराना।

18. भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महान् विभूतियों, साहित्यिक एवं अनुकरणीय राजनेताओं का जन्म दिवस जयंतियाँ तथा पुण्य तिथियाँ आयोजित करना एवं सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समारोह का आयोजन करना।

19. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की रक्षा तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए हर प्रकार का प्रयास करना और इस संदर्भ में सरकार के निर्णयों का प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।

20. बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतू मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा डेयरी प्रोजेक्ट का संचालन करना।

21. समाज के कमजोर एवं पिछड़े विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों के बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, हस्तकला तथा पारम्परिक कलाओं को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, बालबाड़ी पालनाघर एवं कामकाजी महिलाओं के लिए अल्पावास केन्द्र की स्थापना करना।

22. असहाय, उपेक्षित एवं तलाक शुदा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना, समाज से उपेक्षित, अनाथ, दिग्भ्रमित बच्चों के पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

23. केन्द्र तथा राज्य सरकार के हैन्डीक्राफ्टस, ट्राईसेम, आई0 आर0 डी0 पी0 डी0 डब्लू सी0 आर0 एस0 आदि योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

24. समता मूलक प्रगतिशील साहित्य का निर्माण, प्रकाशन एवं प्रसार करना।

25. महिलाओं के लिए हर प्रकार के शिल्प कला का संचालन, अध्ययनरत् छात्राओं के लिए छात्रावास एवं कामकाजी महिलाओं के लिए आवास–गृहों की स्थापना तथा उनके बच्चों के लिए क्रैच केन्द्र संचालन करना।

26. जनस्वास्थ्य हेतु चिकित्सालयों की स्थापना तथा संचालन करना।

27. पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, धृत मक्खन निर्माण, डेयरी प्रोजेक्ट, ग्रामीण तेल का निर्माण एवं विक्रय, मधुमक्खी पालन, चरखा एवं हस्त उद्योग का संचालन, संस्था द्वारा उत्पादित शीघ्र नष्ट होने वाली सामाग्रीयों के संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण तथा संचालन करना।

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR

28. देश–विदेश की उपलब्धियों से अवगत कराने हेतु ऐतिहासिक, औद्योगिक तथा दर्शनीय स्थानों में बच्चों, महिलाओं, युवकों एवं प्रौढ़ लोगों के लिए पर्यटन की व्यवस्था करना।

29. परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण योजना का प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन।

30. शिक्षण संस्थाओं एवं छात्रावास का निर्माण एवं संचालन, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री, रात्री पाठशाला, कन्डेन्सड कोर्स एवं बालबाड़ी तथा आँगनबाड़ी की व्यवस्था करना तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड तथा कपाट द्वारा संचालित सभी अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करना।

31. विधवा एवं परित्याकता आश्रम की व्यवस्था करना।

32. नृत्य कला एवं संगीत नाट्य तथा ललित कला के प्रचार–प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

33. सदस्यों एवं जनसाधारण को संस्था के कार्यक्रमों तथा देश की वास्तविक स्थिति से अवगत एवं परिचित कराने तथा उनके साहित्यिक एवं बौद्धिक विकास हेतु पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन।

34. छात्र–छात्राओं एवं अध्ययनरत् लोगों को सस्ते मूल्य पर पुस्तक एवं अन्य सामाग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रकाशन सम्बन्धी कार्य करना।

35. निर्धन एवं मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रेरणार्थ स्कॉलरशीप प्रदान करना तथा मेधावी छात्र–छात्राओं के पूर्ण शिक्षा के लिए यथासंभव आर्थिक सहयोग देना।

36. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, केन्द्रीय व राज्य सरकारों, बैंकों, निगमों, बोर्डों, अर्द्धसरकारी व गैरसरकारी दातव्य संस्थाओं एवं आमजनता से सभी प्रकार के ऋण, दान–अनुदान, चल–अचल सम्पत्ति को बंधक या गिरवी रखना।

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR

37. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यों को करना।

38. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास तथा उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।

39. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मानसिक विकास के लिए शिविर सेमिनार और वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

40. समाज के सभी वर्गों विशेषकर पिछड़े तथा अल्पसंख्यक निरक्षरों के बीच नशाखोरी उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत जागरूकता प्रसार कार्यशाला का आयोजन, प्रशिक्षण शिविरों का संचालन तथा नशाखोरी के पुर्नवास की व्यवस्था करना, अवैध शराब दवाई को बन्द कराना, साथ ही गांजा, अफीम, हिरोइन आदि मादक वस्तुओं के दुष्प्रभाव के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना।

41. एड्स जैसे जानलेवा रोग के प्रति आम जनता में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना, वेश्यावृति जैसे घृणित व्यवसाय में लिप्त युवतियों एवं महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाना, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर स्वनियोजित योग्य बनाना तथा उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाना।

42. बालक/बालिकाओं के यौन शोषण को रोकना, बाल–मजदूरी की कुप्रथा को रोकना, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराना और उनको पुर्नवास, शिक्षा, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना तथा उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाना।

OF DISTRICT-SUB REGISTRAR

43. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों कार्यक्रमों वाली संस्थाओं से संबन्ध स्थापित करना।

44. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यों को करना।

45. छात्र एवं छात्राओं के बीचय प्रतियोगिता में सफल होने की भावना के सृजन के लिए क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन करना।

46. सरकारी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक पर आधारित शौचालय एवं बायो–गैस प्लांट का निर्माण करना एवं दस संदर्भ में लोगों को जागृत करना। नशाखोरी, जुआ, औषधी दुरूपयोग, बाल विवाह की रोकथाम हेतु जनता को जागृत करना एवं इन घटनाओं को रोकने में हर प्रकार का सहयोग देना।

47. युवकों में बढ़ती निराशाओं को सकारात्मक सोंच देकर बेहतरी हासिल करने की ओर उन्मुख करना, निरंतर प्रेरणा, सफल व्यक्तियों की जीवनियॉ बताकर उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करना।

48. महिलाओं एवं दिशाहीन पढ़े–लिखे युवकों का स्वयं सहायता समूह बनाकर बैंक से जोड़तें हुए उन्हें स्वरोजगार दिलाना एवं रनोजगार उन्मतुख बनाना।

49. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्षेत्र में राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के सभी प्रगतिशील लक्ष्यों एवं निर्णयों का प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।

50. शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रभक्तों के योगदान के मूल्यांकन की नयी दृष्टि विकसित करना।

51. क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले साहित्यकारों की पहचान करना और उनका सम्मान करना।

52. गरीब, उपेक्षित और अनाथ बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान खोलना।

53. समाज के गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के साधनों की व्यवस्था करना।

54. संगीत, ललितकला, शिल्प कला, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, आद्यौगिक शिक्षण सह प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

55. अशिक्षित महिलाओं एवं पुरुषों को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता मिशन, व्यस्क शिक्षा एवं अनौपचारिकता शिक्षा आदि के माध्यम से साक्षर बनाना तथा पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करना।

56. आदर्श शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था के उद्देश्य से शिक्षण प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र स्थापित कर समाज का विकास करना।

57. मूक, बधिर, अंधों एवं विकलांगों के सहायतार्थ एवं शिक्षा हेतु विद्यालय एवं उनके विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।

58. गो रक्षा, पशु संरक्षण एवं गोवंश का उत्थान (प्राथमिक चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान)।

59. जन कल्याण हेतु पेय जल प्रकाश एवं सफाई इत्यादि की व्यवस्था करना।

60. पूर्व से संचालित किसी भी अन्य सामाजिक विकास संस्थान कला केन्द्र, शिल्प कला प्रशिक्षण केन्द्र, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, जो लोक कल्याणकारी हो जिसके माध्यम से जन कल्याण होता हो, शिक्षा का विकास होता हो, समाज की प्रगति हो, उन संस्थानों को आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संबद्धता देकर उसके विकास में सहायता एवं सहयोग करना है तथा समय–समय पर उसका निरीक्षण करना, निर्देश देना तथा प्रमाण–पत्र देना।

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR

61. दातव्य औषधालय, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि को उपलब्ध एवं निर्माण कर उनका संचालन करना, आंशिक शुल्क तथा निःशुल्क आँख का ऑपरेशन कराना, विकलॉगों को उपकरण बाँटने एवं बँटवाना एवं ए0एन0एम0 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

62. विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं जैसे आँधी, तुफान, भूकम्प, ज्वालामुखी, प्लेग, महामारी, एड्स, स्वाईन फ्लू, इत्यादि से पीड़ित लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना। इसी प्रकार मानव निर्मित विपत्तियों जैसे :– हड़ताल, युद्ध, दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को नगद अथवा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य कर सहायता प्रदान करवाना अथवा करना।

63. ट्रस्ट हेतु समय–समय पर चल एवं अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना, क्रय करना, निर्माण–पुननिर्माण करना, जीर्णोद्धार करना, सुधार करना, विकास करना, किराये पर लेना–देना, विक्रय करना, तथा ऐसी कार्यवाही जो ट्रस्ट के हित में हो तथा जिससे ट्रस्ट को आर्थिक आय हो तथा जिसे ट्रस्ट के उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्राप्त हो।

64. विदेशी शैक्षणिक संगठनों एवं संस्थानों अथवा सरकारों के साथ संबंध कायम रख कर अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी को उन्नत करना अथवा कराना।

65. ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शुद्ध पेय जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़क निर्माण, विद्यालय निर्माण, सिंचाई, कूप निर्माण, आवास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, शौचालय निर्माण सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना तथा सदस्य संस्थाओं को तकनीकि ज्ञान प्रदान करना।

66. भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करना। लाभार्थियों एवं उनकी समस्याओं के आधार पर परियोजना निर्धारित करना, नवीन तकनीकि का ज्ञान, वर्षा जल का सिंचाई हेतु संग्रह एवं अन्य जीवों के लिए सुरक्षित रखना।

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR

67. प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदुषण नियंत्रण करना। आर्थिक विकास से जुड़े क्रियाकलाप, डेयरी, पौधारोपन, बागवानी आदि को बढ़ावा देनाउसके प्रसंस्करण उपरान्त विपण्न की व्यवस्था करना, सदस्यता या सम्बद्ध संस्थाओं के परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

68. ग्रामीण युवाओं को समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मानव समाज को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोड़ना।

69. महिलाओं/युवतियों के सामाजिक, शैक्षणिक (व्यवसायिक शिक्षा सहित) आर्थिक, भौतिक, नैतिक विकास हेतु कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग, अन्तर्गत उत्पादन, फुड प्रोसेसिंग, विपण्न, ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल, दक्षता विकास करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गतिविधियों के द्वारा चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना।

70. प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर छात्रों एवं छात्राओं को तकनीकि शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना एवं उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।

71. प्रितियोगत परीक्षा के आधार पर छात्रों एवं छात्राओ को तकनिकी शिक्षा के लिए छछात्रवृति प्रदान करना एवं उच्च शिक्षा हेतू प्रोत्साहित करना।

न्यास का नाम : आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट

1. परिभाषा

(क) ट्रस्ट से अभिप्राय है : धार्मिक, समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता बनाये रखना।

(ख) एक्ट से अभिप्राय है : भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882

2. **ट्रस्ट की सदस्यता** : – कोई व्यक्ति ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियम का पालन करता हो विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने पर कार्यकारिणी के अनुमोदन पर सदस्य हो सकता है दूसरे शब्दों में, समाज में ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए सदस्यता की पात्रता होगी जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति सच्ची आस्था रखते हों एवं उसकी पूर्त्ति हेतु तन मन धन से समर्पित हों तथा जिनके आवेदन की अनुशंसा कम से कम एक संरक्षक, या संस्थापक या आजीवन सदस्य अथवा अध्यक्ष या सचिव द्वारा की गई हो तथा जिसे कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाए एवं जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।

SEAL OF DISTRICT SUB R... DARBHANGA

3. **सदस्यता की समाप्ति :–**

सदस्यों को सदस्यता निम्न में से किसी कारण से समाप्त की जा सकती है :–

1. सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में या
2. लिखित रूप में त्याग पत्र की स्थिति में या
3. पागलपन की स्थिति में या
4. ऐसी स्थिति में जिसमें कार्यकारिणी को यथेष्ट प्रमाण मिले कि किसी सदस्य द्वारा संस्था के आहित में कार्य किया जा रहा है (निर्णय कार्यकारिणी द्वारा अभियोग लगा कर)।
5. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
6. लगातार एक वर्ष तक बिना सूचना के अनुपस्थित होने पर।

4. **ट्रस्ट के कार्य–कारिणी समिति का गठन**

1. कार्यकारिणी समिति का गठन समिति के सदस्यों ,द्वारा होगा।
2. समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जायेगा जिसमें दो–तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए रिक्त पद पर समिति के किसी सदस्य को सचिव की सलाह से अध्यक्ष मनोनीत कर सकता है किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत् चुनाव करा लेना होगा।

5. **कार्यकारिणी के अधिकार एवं कार्य :–**

1. ट्रस्ट के चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रति उत्तरदायी होना।
2. ट्रस्ट के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत् करना।

3. उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी प्रकार का वैधानिक कार्य करना।
4. उपशाखा का निर्माण करना।
5. वैसे सभी वैधानिक कार्य करना जो ट्रस्ट के विकास हेतु उचित एवं संवैधानिक हो।

6. संरक्षक / अध्यक्ष :–

1. ट्रस्ट के सभी क्रियाकलापों पर नजर रखना।
2. टस्ट के सभी बैठकों में मार्गदर्शक के हैसियत से उपस्थित होना।
3. समय–समय पर अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन कराना।
4. ट्रस्ट के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।
5. ट्रस्ट के क्रियाकलापों पर निगरानी रखना।
6. आवश्यकता पड़ने पर अपने मत द्वारा किसी विषय पर निर्णायक मत देना।
7. कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर करना।
8. ट्रस्ट के हित में मार्गदर्शन करना।

8. सचिव :–

1. बैठकों का आयोजन करना।
2. बैठकों को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर करना।

3. ट्रस्ट के कागजात एवं पंजी का निरीक्षण करना तथा सुरक्षित रखना।

4. ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना।

5. ट्रस्ट की ओर से आय–व्यय का अंकेक्षण की व्यवस्था करना।

6. आवश्यकता पड़ने पर समिति की बिना पूर्व अनुमति के 5,000/– से 10,000/– रूपया तक व्यय करना। लेकिन समिति की अगली बैठक में खर्च की गयी राशि को स्वीकृत करा लेना अनिवार्य होगा।

7. ट्रस्ट के बजट, आय–व्यय का प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन को समिति एवं आमसभा बैठक में उपस्थित करना।

8. अपनी अनुपस्थिति में समिति के किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को अपना कार्यभार अस्थायी रूप से पुनः पदभार ग्रहण करने तक सौंप सकेंगे अथवा प्रभार ग्रहण करने वाले सदस्य अपना हस्ताक्षर वास्ते सचिव बतौर करेंगे।

9. वस्तु उत्पादन, बिक्री तथा वित्त से संबंधित ब्यौरा समिति की बैठक में प्रस्तुत करना, दान–अनुदान ऋण तथा अन्य प्रकार से कोष प्राप्त करना।

9. कोषाध्यक्ष :–

1. ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।

2. सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना।

3. ट्रस्ट के कोष को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा करना।

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR DARBHANGA

4. अपने पास खर्च के लिए आकस्मिक मद से 10,000/— दस हजार रूपया तथा सचिव के लिखित निर्देश पर किसी भी मद में भुगतान करना तथा व्यय करना।

5. सभी लेखा पंजियों का संधारण करना एवं उससे वार्षिक अंकेक्षण हेतु तैयार करनां

6. समय—समय पर समिति को ट्रस्ट कोष में जमा राशि की स्थिति से अवगत कराना।

10. कोष का संचालन

ट्रस्ट का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तीनों में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। प्राथमिक हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष होंगे ।

11. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार :—

(क) ट्रस्ट के चल अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होंगे।

(ख) ट्रस्ट के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत् करना और प्रस्ताव पारित करना।

(ग) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

(घ) ट्रस्ट एवं उपशाखा का निर्माण एवं संचालन करना।

(च) सदस्यता हेतु प्राप्त विहित आवेदन पर विचार कर स्वीकृत या अस्वीकृति प्रदान करना।

(छ) ट्रस्ट के दिन—प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यकतानुसार नियम—उपनियम बनाना।

SEAL OF DISTRICT SUB-REGISTRAR

(ज) कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय, लेखा पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करना।

(ञ) ट्रस्ट के प्रगति एवं विकास हेतु अन्यान्य कार्यों का सम्पादन/निष्पादन अपने अधिकार से करना।

12. आम सभा के कार्य एवं अधिकार :–

1. समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
2. ट्रस्ट के आय–व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना।
3. अंकेक्षण की नियुक्ति करना।
4. अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना।
5. वार्षिक प्रतिवेदन पारित करना।
6. समिति द्वारा उपस्थित विषयवस्तु पर विर्मशोपरान्त सहमति प्रदान करना।
7. ट्रस्ट एवं उसके उद्देश्य हित में प्रस्तावित विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति से निर्णय लेना।
8. ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा।

13. ट्रस्ट के बैठक की सूचना :–

1. कार्यकारिणी समिति को बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी।
2. कार्यकारिणी समिति की विशेष या अत्यावश्यक बैठक 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।
3. आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR DARBHANGA

17. पंजी का निरीक्षण :–

1. पंजी का निरीक्षण कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य सचिव की अनुमति से प्रधान कार्यालय में कर सकता है।

18. आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट के क्रियाकलापों अन्य श्रोतों से प्राप्त आय का उपयोग केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति में ही व्यय किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त होने वाले आय का वितरण न्यासियों में व्यक्तिगत लाभ हेतु नहीं किया जायेगा।साथ ही अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने पर मानदेय दिया जायेगा

19. ट्रस्ट नियमावली में संशोधन :– ट्रस्ट के नियमावली एवं उद्देश्यों में संशोधन कार्यकारिणी समिति के दो–तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

20. कानूनी कार्यवाही :– किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का क्षेत्राधिकार दरभंगा, व्यवहार न्यायालय होगा।

21. विघटन :–

अगर किसी कारणवश ट्रस्ट का विघटन करना पड़े तो आम सभा के दो–तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा। इसका निस्तारण ट्रस्ट एक्ट 1882 एवं तासमय लागू नियमों के अधीन किया जायेगा।

22. संस्था के अभिलेख :–

1. सदस्यता पंजी
2. कार्यवाही पंजी
3. उपस्थिति पंजी
4. सूचना पंजी
5. आय–व्यय पंजी
6. चल अचल सम्पत्ति पंजी
7. अनुदान पंजी
8. रसीद बुक

4. आम सभा की विशेष अत्यावश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी।

5. सूचना डाक या पंजी द्वारा दी जायेगी।

14. आय का स्त्रोत :–

1. सरकारी दान, अनुदान एवं ऋण।
2. विशेष शुल्क एवं चन्दा।
3. अन्य स्त्रोतों से।
4. विदेशी दान

15. बैठक :–

1. ट्रस्ट कार्यकारिणी समति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।
2. आम सभा की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी।
3. आम सभा का प्रत्येक पाँच वर्षों पर कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करेगी।
4. आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष के द्वारा बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

16. लेखा :–

पंजी का अंकेक्षण :– ट्रस्ट की आय – व्यय का लेखा–पंजी नियमित रूप से रखी जायेगी तथा कार्य समिति द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से प्रतिवर्ष अंकेक्षित करायी जायेगी।

SEAL OF DISTRICT SUB REGISTRAR DARBHANGA

आनंद जीवन फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्यों का नाम, एवं

दूरभाष का विवरण :–

पद	हस्ताक्षर
संरक्षक/अध्यक्ष	शैलेन्द्र कुमार ता० 06-04-2023
सचिव	आशीष चौधरी 6/4/23
कोषाध्यक्ष	
1. सदस्य	पूजा कुमारी 06/04/23
2. सदस्य	

आलोक कुमार शर्मा 6/4/2023

संजीव कुमार ता० 06-04-2023

पिन्टु कुमार – 27 वर्ष
पिता :- रामबालक महतो
ग्राम :- शिशो रसलपुर
थाना :- सदर दरभंगा
जिला :- दरभंगा 06/04/2023
आधार :- 2678 0153 1651

आनन्द ठाकुर
पिता - स्व० अशर्फी ठाकुर
ग्राम - मब्बी बेलौना पो० - नारायणपुर
थाना - सदर, दरभंगा
जिला - दरभंगा 06/04/2023

OF DISTRICT SUB REGISTRAR DARBHANGA

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 6000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs. 9200/-

Registration Fee

A1	2200	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	**2200**

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: **1000**

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 3200

Date: 06/04/2023

Registering Officer
Darbhanga

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Darbhanga on Thursday, 06th April 2023 by Guddu Kumar Anand Thakur by profession Others. Status -

06-04-2023

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:06/04/2023**

Registering Officer
Darbhanga

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Pintu Kumar' age '27' Sex 'M', 'S/O Ram Balak Mahto', resident of 'Shisho Rasalpur, Darbhanga'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 06/04/2023

Registering Officer
Darbhanga

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Darbhanga in Book 4 Volume No. 2 on pages on 1 -25, for the year 2023 and stored in CD volume No. CD-1 year 2023 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 06/04/2023

Registering Officer
Darbhanga